

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-2/आर०-120/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक

डा० वीरेन्द्र दर्बे, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुवा बाजार, छातापुर, सुपौल के दिनांक-27.12.2022 से 11.03.2026 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-27.12.2022 से 26.12.2025 तक (कुल-1096 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-27.12.2025 से 11.01.2026 तक (कुल-16 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(iii)	दिनांक-12.01.2026 से 15.01.2026 तक (कुल-03 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(iv)	दिनांक-16.01.2026 से 12.02.2026 तक (कुल-28 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(v)	दिनांक-13.02.2026 से 14.02.2026 तक (कुल-02 दिन)	-	आकस्मिक अवकाश के रूप में।
(vi)	दिनांक-15.02.2026 से 09.03.2026 तक (कुल-23 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(vii)	दिनांक-10.03.2026 से 11.03.2026 तक (कुल-02 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

सं०सं०-2/आर०-120/2026-

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुवा बाजार, छातापुर, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० वीरेन्द्र दर्बे, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलुवा बाजार, छातापुर, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wamun 16/12/26
सरकार के उप सचिव।